का॰ ज्ञा॰ सं॰ 12015/18/90-रा॰भा॰ (तक॰), दिनांक 25.5.1990

विषय:— देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं-संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट खण्ड-2 में की गई सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति ने सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में अपना प्रतिवेदन जुलाई, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया, जिसमें की गयी सिफारिशों पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों व राज्य/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त भर्ती के आधार पर विचार करने के बाद उन पर लिए निर्णयों को सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस विभाग के दिनांक 29 मार्च, 1990 के संकल्प सं॰ 12015/34/87-रा॰ भा॰ (तक॰) द्वारा भेजा गया था।

2. केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि का ध्यान उपरोक्त निर्णयों में से कुछ की ओर, जिनसे उन सभी का संबंध है, एक बार फिर निम्न प्रकार कार्यवाही करने हेतु आकर्षित किया जाता है:—

इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर:

(1) इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों के विषय में संसदीय राजभाषा समिति के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक सभी कार्यालय केवल वही इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें, जिन में रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो, इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 15.6.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 12015/20/87-रा॰भा॰(तक॰) द्वारा यह आदेश जारी किए गए थे कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय केवल द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर ही खरीदें। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करे कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

टेलिप्रिंटर/टैलैक्स:

(2) राजभाषा विभाग के दिनांक 28.3.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 12015/9/88-रा॰ भा॰ (त॰क॰) में द्विभाषी टेलीप्रिंटर/टैलेक्स के विषय में अनुदेश जारी किए गए थे। चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीनों का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है, अत: जैसा कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में पहले भी कहा गया है, सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे भविष्य में अब केवल द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) टेलीप्रिंटर/टैलेक्स ही खरीदें या लीज पर लें, जिन कार्यालयों में इस समय रोमन टेलीप्रिंटर/टैलेक्स लीज पर हैं, वे दूर संचार विभाग को तुरन्त इनके बदले द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टैलेक्स लगाने के लिए अनुरोध करें।

कम्प्यूटर:

(3) (क) जैसा कि इस विभाग के दिनांक 30.5.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 12015/12/84-रा॰भा॰(त॰क॰) के द्वारा सूचित किया गया था, केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय केवल द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) कंप्यूटर, शब्द-संसाधन और टेलीप्रिंटर ही खरीदें, कंप्यूटर, शब्द संसाधक आदि की खरीद के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक प्रभाग को इस निदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिन्दु बना दिया गया है और टैलेक्स/टेलीप्रिंटर की खरीद के लिए जांच बिन्दु दूरसंचार विभाग को बना दिया गया है। ऐसी कोई भी मशीन जिसमें द्विभाषी क्षमता न हो राजभाषा विभाग की पूर्वानुमति के बिना न खरीदी जाए।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध जिन कंप्यूटरों में केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा है वहां देवनागरी टर्मिनल भी तत्काल लगाए जाने चाहिए। समिति की सिफारिश मान ली गई है, अत: सभी मंत्रालय/विभाग इस समय उपलब्ध कंप्यूटरों के बारे में स्थिति का जायजा ले कर यह सुनिश्चित करके कि सभी कंप्यूटरों में देवनागरी में काम करने की क्षमता उपलब्ध कराने हेतु देवनागरी टर्मिनल या कार्ड लगा हो। इस विषय में ज्ञातव्य है कि जिस्ट-कार्ड और जिस्ट-टर्मिनल का प्रयोग करके क्रमश आई॰ बी॰ एम॰-पी॰ सी॰ तथा मल्टीयूसर प्रणालियों पर द्विभाषी क्षमता उपलब्ध करवाना अब संभव है। इस तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी अनुलग्नक-1 पर दी गई है। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस विषय में स्थिति की जांच करके जिस्ट-कार्ड अथवा जिस्ट-टर्मिनल लगा कर, अपनी वर्तमान प्रणालियों को ठीक करें, ताकि उन पर हिन्दी में काम करने की क्षमता उपलब्ध हो। इस विषय में प्रत्येक कार्यालय में एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा उसे क्रियान्वित किया जाए।

इसके अतिरिक्त जिन मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों उपक्रमों आदि में ऐसे पुराने कंप्यूटर है जिन में तकनीकी कारणों से द्विभाषी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती, उन्हें नवीनतम द्विभाषी क्षमता उपलब्ध करवाना संभव नहीं है, वहां यह विचार किया जाए कि क्या मूल्य को देखते हुए इन मशीनों को नवीनतम द्विभाषी कंप्यूटरों में बदलना ही लागत की दृष्टि से अधिक लाभकारी होगा। अत: सभी मंत्रालय/विभाग आदि इस विषय में स्थिति का जायजा ले कर पुरानी प्रणालियों के स्थान पर नवीनतम द्विभाषी कंप्यूटर प्रणाली लगाएं।

(ग) संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की है कि शब्द-संसाधक और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के कुंजीपटल पर देवनागरी वर्ण भी उत्कीर्ण किए जाने चाहिए तथा आदेश देने की कुंजियों पर भी देवनागरी में आदेश उत्कीर्ण होने चाहिए यह सिफारिश मान ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करें कि वे ऐसे कंप्यूटर, शब्द-संसाधक और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें, जिनके कुंजीपटलों पर सभी अक्षर/आदेश द्विभाषी रूप में उत्कीर्ण किए गए हों।

(घ) राजभाषा विभाग के दिनांक 31.8.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं॰-12015/12/84- रा॰भा॰ (तकनीक) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे केवल ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां लगाएं, जिनमें हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में आंकड़े भरने और रिपोर्ट आदि भी दोनों भाषाओं में तैयार करने की सुविधा हो। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह भी अनुरोध है कि विभिन्न कार्यालयों में लगाए गए कंप्यूटरों के बारे में सूचना संलग्न प्रोफार्मा अनुलग्नक-2 में इस विभाग को 30 जून, 1990 तक अवश्य भेज दी जाए।

द्विभाषी उपकरणों का प्रयोग:

(4) राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित प्रतिशत के देवनागरी टाइपराइटर खरीदने, प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराने तथा हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों पर काम करने में सक्षम इलैक्ट्रानिक यंत्रों/उपकरणों आदि की खरीद के बारे में समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं। संसदी राजभाषा समिति की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि द्वारा इन आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया, जिससे कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग की गति अवरूद्ध हुई है और अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा नियमों के नियम 12 के अनुसार जिन विभागाध्यक्षों ने इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों आदि का ध्यान समिति की उपर्युक्त सिफारिश की ओर विशेष रूप से आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि राजभाषा विभाग द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(5) संसदीय राजभाषा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं, वहां उन यंत्रों का राजभाषा संबंधी नियमों के अनुसार, मुख्यत: हिन्दी में कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाए। इसके लिए पूल और कारगर जांच बिन्दु बनाए जाएं तथा (कॉपी क्लीयर नहीं है) कार्रवाई का प्रावधान किया जाए।

All the Ministries/Departments are requested to ensure appropriate action as per the above recommendation.

3. All the Ministries/Departments are requested to take suitable action on the above instructions and bring these to the notice of their attached and subordinate, offices and undertakings, nationalised banks etc. owned and controlled by them, and ensure compliance thereof.

''जिस्ट'' कार्ड/टर्मिनल की उपलब्धता एवं प्रयोग

पहले बने कंप्यूटरों में देवनागरी में काम करने की क्षमता बाहर से प्रविष्ट सोफ्टवेयर द्वारा की जाती थी। इस प्रणाली में कुछ कमियां थीं, जैसे:-

(1) प्रत्येक पैकेज के लिए अलग देवनागरी सोफ्टवेयर का प्रयोग करना,

(2) मशीन के काम करने की गति कुछ धीमी हो जाती थी,

(3) लोकप्रिय एवं मानकीकृत पैकेज देवनागरी में नहीं चल सकते थे।

2. जिस्ट टैक्नालोजी के आगमन से इन समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो गया है। जिस्ट कार्ड एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी आई बी एम कम्पेटिबल ''पी॰सी॰'' पर लगाया जा सकता है एवं इसके द्वारा मौजूदा सोफ्टवेयर को ही देवनागरी या अन्य भारतीय लिपियों में चलाया जा सकता है। एक भारतीय लिपि से दूसरी भारतीय लिपि में स्वाभाविक रूप से लिप्यांतरण भी संभव है। मशीन की गति भी धीमी नहीं होती क्योंकि कार्ड पर अपना अलग से प्रोसैसर लगा होता है।

3. जो मशीन आई॰ बी॰ एम॰ ''पीसी'' श्रेणी की नहीं है, जैसाकि मल्टी-यूजर सिस्टम आदि, उनको भी जिस्ट टर्मिनल द्वारा द्विभाषी एवं बहुभाषी रूप में काम करने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। राजभाषा विभाग ने जिस्ट कार्ड पर काम करने वालों के लिए एक उपयोगी सोफ्टवेयर पैकेज बनाया है जिसके द्वारा पहले से प्रविष्ट रोमन में आंकड़ों को (जैसे नाम, पते आदि) देवनागरी एवं किसी भी भारतीय लिपि में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे इन आंकड़ों को फिर से देवनागरी में प्रविष्ट कराने के परिश्रम की बचत होती है। जिस्ट कार्ड के उपयोग करने वालों के लिए यह सोफ्टवेयर पैकेज राजभाषा विभाग से निशुल्क उपलब्ध है। जिस्ट कार्ड/टर्मिनल के निर्माताओं के नाम-पते इस प्रकार हैं।

(1) मै॰ एप्लायड इलैक्ट्रोमैग्नेटिक्स (प्रा॰) लि॰,
36-37, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल काम्पलैक्स,
फेज-1, नई दिल्ली-110020।

(2) मै॰ ब्लू स्टार लि॰,
न्यू फ्रैंड्स कालोनी, 13, कम्यूनिटि सेंटर,
नई दिल्ली-110065।

(3) क्वार्क कंप्यूटर्स प्रा॰ लि॰,
सी-31, सर्वोदय नगर,
कानपुर-208005।

(4) नेशनल इन्फारमेशन टैक्नालोजी लिमिटेड,
पी॰टी॰आई॰ भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001।

अनुलग्नक-2

----------मंत्रालय/विभाग में लगाए गए कंप्यूटरों के बारे में सूचना:

	मिनी		सुपर एटी		पीसी	अन्य
	सिस्टम	टर्मिनल	सिस्टम	टर्मिनल		
कुल संख्या						
कितनों में हिन्दी में आंकड़े भरने और रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा है।						

समझ नहीं आ रहा।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे समिति की उपर्युक्त सिफारिश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों पर समुचित कार्रवाई करें तथा इन्हें अपने सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लाएं तथा इनका पालन सुनिश्चित करें।